न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 44/2019

1 ओमप्रकाश पुत्र हरनन्द

2 रामनिवास पुत्र हरनन्द

3 रामकरण पुत्र बजरंग

4 बाबुलाल पुत्र बजरंग

5 अशोक पुत्र बजरंग

6 किशन पुत्र बजरंग जाति समस्त माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 बनवारी पुत्र भानीराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 18 पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

2 संजय पुत्र स्व. हरनन उर्फ हरनन्द जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।

3 बरजी देवी बेवा स्व. हरनन उर्फ हरनन्द जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

4 सुआ देवी पुत्री स्व. हरनन उर्फ हरनन्द पत्नी बसेसर जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

5 लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व. हरनन उर्फ हरनन्द पत्नी लालचन्द जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

6 सन्तरा देवी पुत्री स्व. हरनन उर्फ हरनन्द पत्नी बुद्धराम जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7 बनारसी देवी बेवा स्व. श्री बजरंग जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

8 गुलाबदेवी पुत्री स्व. बजरंग पत्नी टिंकू जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी नानुवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

9 मंजु पुत्री स्व. बजरंग पत्नी महेन्द्र जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी वार्ड नम्बर 21 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

10 सुशीला पुत्री स्व. श्री बजरंग पत्नी लक्ष्मण जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी वार्ड नम्बर 21 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

11 अन्जु पुत्री स्व. बजरंग पत्नी प्रेम जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी कम्मा का मोहल्ला राजपुरा पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

12 सन्जु पुत्री स्व. श्री बजरंग पत्नी प्रताप जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी गोगाजी की ढाणी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

13 पतासी पुत्री स्व. श्री जग्गुराम बेवा स्व. श्री हनुमान सैनी जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी पोली बालाण दीपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

14 बसन्ती पुत्री स्व. श्री जग्गुराम बेवा स्व. श्री धोलाराम सैनी जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी मेघसागर की ढाणी पोस्ट बुडानियां तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

15 कुनिया पुत्री स्व. जग्गुराम पत्नी श्री झुंथाराम सैनी जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

राज.। हाल निवासी कबीरा की ढाणी केरपुरा रोड़ सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

16 शिवचन्द पुत्र श्री सुण्डाराम माता श्योबाई जाति माली निवासी माणुता कलां स्कुल के पीछे तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

17 पप्पु पुत्र स्व. श्री लीलाधर जाति माली निवासी माणुता कलां स्कुल के पीछे तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

18 भंवरलाल पुत्र स्व. श्री लीलाधर जाति माली निवासी माणुता कलां स्कुल के पीछे तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

19 भगवती देवी पत्नी स्व. श्री झाबरमल जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

20 लक्ष्मण पुत्र स्व. झाबरमल जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

21 रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री झाबरमल जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

22 सुरेश पुत्र स्व. श्री झाबरमल जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

23 नरेश पुत्र स्व. श्री झाबरमल जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

24 सन्तोष पुत्री स्व. झाबरमल जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

25 कमला पुत्री स्व. श्री झाबरमल जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

26 मोनिका पुत्री स्व. श्री झाबरमल जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

27 राजो पुत्री स्व. झाबरमल जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

28 मूलचन्द पुत्र स्व. श्री हरदेवाराम जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

29 बीरबल पुत्र स्व. श्री हरदेवाराम जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

30 गोरीशंकर पुत्र स्व. श्री सुलतान जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

31 श्री राम पुत्र स्व. सुलतान जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

32 भगवती देवी बेवा स्व. सुलतान जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

33 सुशील पुत्र स्व गोपाल जाति माली निवासी पानी की टंकी के पास राजोरिया कॉलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

34 शिवरतन शर्मा पुत्र श्री हरिप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

35 मोहनलाल पीरामल चेरिटेबल ट्रस्ट बगड़ जरिये ट्रस्टी अल्पना पीरामल बिनाई, पत्नी समीर एम. बिनाई, निवासी पीरामल सदन वर्लीनाका मुम्बई महाराष्ट्र।

36 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 26.02.2019 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी बनवारी बनाम रामनिवास वगै. मु.नं. 94/2013 दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती एवं घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 3.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 94/2013 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 634 रकबा 3 बिश्वा, खसरा नम्बर 635/1 रकबा 8 बीघा 13 बिश्वा, खसरा नम्बर 635/2 रकबा 9 बिश्वा, हाल खसरा नम्बर 274 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 277 रकबा 2.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 278 रकबा 1.61 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्रामरु/कस्बा बगड़ तहत तहसील व जिला झुन्झुनूं में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसको विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने प्रभावित पक्षकारों को बिना सुने बाला बाला रूप से अधिकारी का ट्रांसफर होने के बाद पीछे की तारीख में दिनांक 26.02.2019 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने दावा की पत्रावली को अपने ट्रांसफर की सम्भावना के चलते तथा भ्रष्ट आचरण अपनाकर विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय करने के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उद्देश्य से पत्रावली को अपने सास चैम्बर में रख लिया तथा पीठासीन अधिकारी ने अपना ट्रांसफर होने के बाद पीछे की तारीख में विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली में प्रतिवादी नम्बर 1, 9, 11 व 12 को छोड़कर किसी भी पक्षकार की तामील नहीं हुई थी। दिनांक 20.11.2018 की आदेशिका के नीचे पेज में दिनांक 06.02.2019 की आदेशिका नहीं लिखी तथा आदेशिका का पेज खाली है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.02.2019 की आदेशिका अपीलान्टस एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रकरण में बाला बाला रूप से निर्णय करने के उद्देश्य से गलत रूप से अपीलान्टस की जवाब देही बन्द की है। तथा अन्य पक्षकारान की एक पक्षीय कार्यवाही इस आधार पर की है कि दिनांक 01.07.2016 को जरिये रजिस्टर्ड तामिल होने के बावजुद भी उपस्थित नहीं हुये जबकि दिनांक 01.07.2016 की जो डाक रसीदें है उनके आधार पर अपीलान्टस को छोड़कर शेष की तामील न्यायालय ने नहीं मानी तथा दिनांक 01.07.2016 की रसीद पेश होने के बाद भी विचारण न्यायालय ने अपीान्टस को छोड़कर शेष की तलबी पुनः पेश करने हेतु कई बार अवसर वादी को दिये है लेकिन वादी ने तामील पेश नहीं की तथा दो वर्ष पूर्व पेश की गई डाक रसीद को आधार मानकर गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही कर पक्षकारान को बिना सुने तथा बिना सबूत व जवाब देही का अवसर दिये गलत रूप से भ्रष्ट आचरण अपनाकर विचाराधीन निर्णय पारित यिका है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.02.2019 की आदेशिका भी पत्रावली में मनमर्जी से लिखी है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.02.2019 की आदेशिका में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य सबुत नहीं पेशकर सीधे ही बहस के लिये सहमति गलत लिखी है तथा बहस सुनना गलत लिखा है। पत्रावली में जो आदेशिका लिखी है उनके मुताबिक न्यायालय की दैनिक डायरी में उक्त पत्रावली अंकित नहीं है। विचारण न्यायालय ने अधिवक्ता वादी की सहमति गलत लिखी है। पत्रावली की आदेशिकाओं में अंकित इबारत से ही ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रावली में गलत रूप से निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पारित करने के लिये उपरोक्त आदेशिकायें मनमर्जी से काला पीला रूप से लिखी है। आदेशिकाओं पर अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी के सहमति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। विवादित जमीन में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं है। विचारण न्यायालय को पत्रावली में पक्षकारान को बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये गलत रूप से जवाब देही बन्द करके गलत रूप से अधिवक्ता की सहमति अंकित कर पत्रावली में गलत रूप से भ्रष्ट आचरण अपनाकर एवं विधिक प्रकिया बिना अपनाये गलत रूप से निर्णय पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दिनांक 06.02.2019 को पत्रावली वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 18.02.2019 को नियत की गई थी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.02.2019 को साक्ष्य प्राप्त किये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना सीधे ही बहस सुनना अंकित कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)